

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 775/2010/जयपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, राजस्थान,
वृत-प्रथम, जयपुर

....अपीलार्थी

बनाम

मै० हेमराज उद्योग, 65,
औद्योगिक क्षेत्र, झोटवाडा,
जयपुर

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एन.के.वैद,
उप राजकीय अभिभाषक
अनुपस्थित

.....अपीलार्थी की ओर से

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 31/10/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी-विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) चतुर्थ, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 27/अति. आयुक्त(अपील्स)/98-99/अपील्स-IV/08-09/ई में पारित आदेश दिनांक 11.01.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, वृत-प्रथम, जयपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा वर्ष 1995-96 हेतु पारित आदेश दिनांक 26.02.1998 अन्तर्गत राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे "अधिनियम 1994" कहा जायेगा) की धारा 10(3) के तहत कायम की गई मांग राशि रु 2,60,340/-, शास्ति रु 5,20,680/- ब्याज रु 549+46,861/- एवं असमायोजित राशि रु 14,900/- को विवादित करने पर अपील आंशिक स्वीकार की है तथा आरोपित कर, ब्याज व शास्ति को अपास्त किया है तथा असमायोजित राशि रु 14900/- व नियमित कर विलम्ब से जमा कराने बाबत आरोपित ब्याज राशि रु 549/- को यथावत रखा है। अपीलीय अधिकारी के उपरोक्त आदेश के विरुद्ध अधिनियम 1994 की धारा 85 के अन्तर्गत विभाग द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

2. विचाराधीन प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी का सर्वेक्षण दिनांक 22.05.96 को किया जाकर जांच पर पाया कि अपीलार्थी व्यवहारी ने आलोच्य अवधि में मैसर्स राजेश सोल्वेक्स लि., केसरपुरा, शिवगंज से राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ. 4(8)एफडी/गुप-4/94-59 दिनांक 07.03.94 के आधार पर बिना कर चुकाये एस.टी. 17 पर

2/12

लगातार.....2

वनस्पति घी का निर्माण करने के लिए साल्वेन्ट एक्सट्रेक्टड मस्टर्ड ऑयल कीमत रु 86,78,007/- का खरीद किया है। जांच पर कर निर्धारण अधिकारी ने अंकित किया कि राज्य सरकार ने उक्त अधिसूचना दिनांक 07.03.94 के द्वारा वनस्पति घी का निर्माण करने वाली वे इकाईयो 1987 या 1989 की बिक्री कर प्रोत्साहन/आस्थगन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है, को वनस्पति निर्माण के लिये खरीदे जाने वाले खाद्य तेल का एस. टी.17 पर कर मुक्त खरीद करने का प्रावधान इस शर्त पर किया है कि क्रेता व्यवहारी भी निर्मित वनस्पति को राजस्थान राज्य में एवं अन्तर्प्रान्तीय व्यापार के दौरान विक्रय करेगा। कर निर्धारण अधिकारी ने जांच पर पाया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा खरीदा गया 'Solvent extracted mustard oil' खाद्य तेल नहीं होकर अखाद्य तेल है क्योंकि Solvent पद्धति से हैक्जिन की सहायता से निकाला गया मस्टर्ड ऑयल अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा खरीद किया गया है जिसे परिष्कृत किया जाकर इस खरीद किये गये तेल का हैक्जिन एवं अन्य रसायनों से विहित नहीं कर दिया जाता, जब तक Solvent पद्धति से निकाले तेल को खाया नहीं जा सकता अतः कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त अधिसूचना के तहत खरीद गये 'Solvent extracted mustard oil' कीमतन रु 86,78,007/- को खाद्य तेल न मानकर, अखाद्य तेल मानते हुए, अपीलार्थी व्यवहारी करापवचन किया जाना मानते हुए धारा 7(बी) के तहत दिनांक 10.07.96 को आलोच्य अवधि के पारित किये गये अस्थाई कर निर्धारण आदेश में 3 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर रु 2,60,340/- तथा यह कर राजकोष में जमा न होने के कारण ब्याज रु 46,861/- आरोपित किया तथा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा इस कर का अपवचन किया जाने के कारण शास्ति रु 5,20,680/- आरोपित करते हुए कुल मांग रु 8,27,881/- कायम की जिसे कर निर्धारण अधिकारी ने आलोच्य अवधि की अधिनियम की धारा 10(3) के पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 26.02.98 में, समाहित करते हुए, नियत कर निर्धारण आदेश अतिरिक्त आयुक्त (प्रतिकरापवचन) के आदेशानुसार नियम 41 के तहत वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवचन द्वितीय, राजस्थान, जयपुर के यहाँ से स्थानान्तरित करने के कारण पारित किया। इसके अतिरिक्त नियमित कर विलम्ब से जमा होने पर अधिनियम की धारा 11(बी) के तहत ब्याज रु 549/- आरोपित किया। व्यवसायी द्वारा इस आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की जिन्होंने आरोपित कर, ब्याज व शास्ति को अपास्त किया है तथा असमायोजित राशि रु 14900/- व नियमित कर विलम्ब से जमा कराने बाबत आरोपित ब्याज राशि रु 549/- को यथावत रखा है। राज्यपक्ष की ओर से विभाग द्वारा यह द्वितीय अपील इस आधार प्रस्तुत की गई है कि अपीलीय अधिकारी का निर्णय विधिसम्मत नहीं है क्योंकि 'Solvent extracted mustard oil' खाद्य तेल नहीं होकर अखाद्य तेल है क्योंकि Solvent पद्धति से हैक्जिन की सहायता से निकाला गया मस्टर्ड ऑयल अपीलार्थी व्यवहारी

द्वारा खरीद किया गया है जिसे परिष्कृत किया जाकर इस खरीद किये गये तेल का हैक्जिन एवं अन्य रसायनों से विहित नहीं कर दिया जाता, जब तक Solvent पद्धति से निकाले तेल को खाया नहीं जा सकता तथा अधिसूचना दिनांक 07.03.94 द्वारा वनस्पति निर्माताओं को जो कर मुक्ति का लाभ दिया गया है वह खाद्य तेलों के लिये है।

3. बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

4. विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय विधिसम्मत नहीं है क्योंकि 'Solvent extracted mustard oil' खाद्य तेल नहीं होकर अखाद्य तेल है क्योंकि Solvent पद्धति से हैक्जिन की सहायता से निकाला गया मस्टर्ड ऑयल अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा खरीद किया गया है जिसे परिष्कृत किया जाकर इस खरीद किये गये तेल का हैक्जिन एवं अन्य रसायनों से विहित नहीं कर दिया जाता, जब तक Solvent पद्धति से निकाले तेल को खाया नहीं जा सकता तथा अधिसूचना दिनांक 07.03.94 द्वारा वनस्पति निर्माताओं को जो कर मुक्ति का लाभ दिया गया है वह खाद्य तेलों के लिये है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जाये।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी की ओर से कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है। सेल्स टैक्स अधिकरण द्वारा अपील संख्या 72/87/उदयपुर एवं अपील सं 71/87/उदयपुर में निर्णय दिनांक 9 सितम्बर, 1987 प्रकरण मैसर्स रजफैड ग्राउण्डनट प्रोसेसिंग प्लान्ट, फतहनगर (उदयपुर) बनाम वा.क.अ. विशेष वृत्त, उदयपुर (1987 (2) आर.टी. जे.एस. 194) में यह माना गया है कि सोल्वेंट पद्धति से तैयार किया गया तेल भी खाद्य तेल की श्रेणी में है। इन्होंने अपने समर्थन में Vishista Solvent Oils Pvt. Ltd. V Deputy commissioner में माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.08.99 [(2001) 121 STC 0492, राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सीटीओ बनाम श्याम एजेन्सी 2015 (078) वीएसटी 0075 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये। इन्होंने राजस्व की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज करने हेतु निवेदन किया।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :-

7. विचाराधीन प्रकरण में मुख्य विवाद यह है कि 'Solvent extracted mustard oil' खाद्य तेल है या नहीं। इस संबंध में सेल्स टैक्स अधिकरण द्वारा अपील संख्या 72/87/उदयपुर एवं अपील सं 71/87/उदयपुर में निर्णय दिनांक 9 सितम्बर, 1987 प्रकरण मैसर्स रजफैड ग्राउण्डनट प्रोसेसिंग प्लान्ट, फतहनगर (उदयपुर) बनाम वा.क.अ. विशेष वृत्त, उदयपुर (1987 (2) आर.टी.जे.एस. 194) का निर्णायक अंश इस प्रकार है :-

२१८

“उपरोक्तानुसार रिफाईन्ड सोल्वेन्ट एक्स्ट्रेक्टेड ग्राउन्डनट ऑयल व रिफाईन्ड सोल्वेन्ट एक्स्ट्रेक्टेड तारामीरा ऑयल खाद्य तेल है जिनका सोल्वेन्ट एक्स्ट्रैक्शन पद्धति से 'हेक्सिन' की सहायता से शोधित करके तैयार किया गया है। इसको सोल्वेन्ट ऑयल, जो कि एक पेट्रोलियम पदार्थ है, मानना उचित नहीं है। उक्त अवधि में ऐसे खाद्य तेल पर 5 प्रतिशत कर देय था। यदि व्यवहारी से इससे अधिक कर व इसके फलस्वरूप ब्याज वसूल कर लिया गया हो तो नियमानुसार वापस लौटाया जाये। प्रथम दो प्रकरणों में व्यवहारी की अपील स्वीकार करते हुए उपायुक्त (अपील्स) का आदेश दिनांक 28.02.87 व 17.03.87 व इससे संबंधित करारोपण अधिकारी के आदेश इस हद तक संशोधित किये जाते हैं। प्रकरण संख्या तृतीय एवं चतुर्थ में विभाग की अपील अस्वीकार करते हुए उपायुक्त (अपील्स) के आदेश दिनांक 30.11.85 की पुष्टि की जाती है।”

उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत में यह ठहराया गया है कि सोल्वेन्ट प्लान्ट द्वारा हेक्सिन की सहायता से निकाले गये तेल को खाद्य तेल माना गया है क्योंकि सोल्वेन्ट पद्धति से निकाले गये तेल को परिष्कृत करके हेक्सिन व अन्य केमिकल निकाल कर ही वनस्पति तेल के निर्माण में प्रयुक्त होता है। सोल्वेन्ट पद्धति से तैयार किया तेल भी खाद्य तेल की श्रेणी में है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार योग्य होने के कारण अस्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन निर्णय यथावत रखा जाता है।

9. निर्णय सुनाया गया।

11/8/2010
(नत्थूराम)
सदस्य